



एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना (AIF)

- AIF फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम अवधि की फाइनेंसिंग फैसिलिटी है।
- यह योजना कृषि-उद्यमियों, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एफपीओ) का समर्थन करेगी।

उद्देश्य: • देश में कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इस योजना के तहत, बैंक और वित्तीय संस्थान प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेंगे और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए CGTMSE योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेंगे।



एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लाभार्थी

- किसान
- SHG- सेल्फ हेल्प ग्रुप
- एग्री एंटरप्रेन्योर्स
- स्टार्टअप
- प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS)
- मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी
- किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG)
- बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सोसायटी
- केंद्रीय / राज्य एजेंसी या लोकल बॉडी स्पॉन्सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।